

Notes: IIa * Administrative charges include - Staff salary and wages, Pay and Allowances, Overtime Allowances, Pensionary charges, Medical Treatment, Administrative Expenses, Domestic Travel, Foreign Travel, Office Expenses, Electricity and Power, Water Charges, Rent, Rates and Taxes (including property tax), leasing and hiring of Staff Car including petroleum, oil and lubricants (POL), leasing and hiring of buildings for State Authority

IIb* Other administrative charges include - Expenditure on conference, seminar, workshop, etc. Training Programme, Advertisement and Publicity, Minor works, Professional Services, Other contractual Services.

IIc* Others include Cartage and Carriage inwards (on purchase of fixed assets/non-recurring items), Printing and Publications (other than academic), Subscription Expenses (other than academic), Non recurring management expenditure like, creation of Capital Asset of State Authority, any other expenditure.

Form-XII

[see rule 39]

Annual Plan of Operation

[To be submitted by the 31st December of current year for next financial year]

The annual plan of operation (APO) shall be prepared in the following parts:

1. Part-1: Brief history and past performance

Part-I of APO shall contain:

- (a) Brief description of forests and forestry sector in the State.
- (b) Compensatory afforestation, other forestry and related schemes (physical and financial) including catchment area treatment, wildlife management and community development works and activities carried out therein in the State in last five years from the State Fund, in tabular form.
- (c) Forestry and other related schemes (physical and financial) and activities carried out therein in the state in previous years from the fund received under other schemes of the Government in tabular form.
- (d) Year wise total forest area diverted in the various districts/ forest divisions of the State since 1980, in tabular form.
- (e) Year wise total compensatory afforestation carried out in the State since 1980, in tabular form.
- (f) Brief description and abstract of the monitoring work done by the Monitoring and Evaluation Wing of the State Forest Department.
- (g) Brief description and abstract of the monitoring work done by the independent monitor (Third Party Monitoring) in the State
- (h) Any other important information for consideration relevant for preparing APO.

2. Part-II: Activities to be undertaken for compensatory afforestation, additional compensatory afforestation, penal compensatory afforestation, catchment area treatment plan and for any other site specific scheme may be used as per site-specific schemes submitted by the State along with the approved proposals for diversion of forest land under the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980) referred to in clause (a) of section 6 of the Act:

- (a) District/ forest division wise details of new compensatory afforestation, catchment area treatment plan works, wildlife management activities to be done as per the conditions imposed under forest clearance granted by the Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980.
- (b) Location, estimated cost and implementation schedule of each activity proposed to be executed from State Fund to be provided district / division wise.
- (c) Details of maintenance works in physical and financial terms proposed to be undertaken in the current financial year in the case of compensatory afforestation work, catchment area treatment plan works, wildlife management activities and other such activities undertaken in previous years which need maintenance for its survival and sustainability.

Note: Details of only those districts may be provided where the compensatory afforestation, penal compensatory afforestation, catchment area treatment, wildlife management and other activities referred to in section 6 of the Act have to be undertaken during the current financial year under consideration.

3. Part-III: Activities to be undertaken from net present value and Interest component referred in rule 5 and rule 6:

- (a) District/ forest division wise details of activities to be done in the State on specified activities referred to in rule 5 and rule 6.
- (b) Location, estimated cost and implementation schedule of each activity proposed to be executed from State Fund to be provided district / division wise.
- (c) Details of maintenance works in physical and financial terms, proposed to be undertaken in the current financial year in the case of activities undertaken in the State on specified activities referred to in rule 5 and rule 6 undertaken in previous years which needs maintenance for its survival and sustainability.

Note: Details of only those districts may be provided where these activities referred to in rule 5 and rules 6 have to be done during the current financial year under consideration.

4. Part-IV: Measurable output of all physical activities and targets of each permissible activity along with the period required for achieving the measurable output:

- (a) Physical and financial targets of each activity to be undertaken in measurable quantity along with the estimated cost of such activities in tabular form including details provided in part II and part III.
- (b) Measurable output of all physical activities to be undertaken along with the period required for achieving the measurable output.
- (c) Details of the concurrent monitoring and evaluation report including third party monitoring undertaken in past with photographs.

Note : The APO duly approved by the State Authority shall be submitted by the State Authority before the 31st December of every year to the National authority for the next financial year.

Declaration

The above annual plan of operation has been adopted by the State Authority.

Signature

Member-Secretary

State Authority

[F. No 11-100/2015-FC (Vol. III)]

DEEPAK KUMAR SINHA, Inspector General of Forests

RAKESH
SUKUL

Digitally signed by RAKESH
SUKUL
Date: 2018.08.11 16:59:57
+05'30'

	परीक्षा				
	ख. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षा				
	ग. ई-ग्रीन बॉन्ड निर्गम				
	घ. तृतीय पक्षकार मॉनीटरी				

घोषणा

उपरोक्त रिपोर्ट की जांच की गई और सही पाई गई है। रिपोर्ट को राज्य प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है।

तारीख :

हस्ताक्षर

सदस्य सचिव, राज्य प्राधिकरण

टिप्पण : IIक प्रशासनिक प्रभार में शामिल हैं - कर्मचारियों का वेतन और मजदूरी, वेतन और भत्ते, समयोपरि भत्ते, पेंशन संबंधी प्रभार, चिकित्सा उपचार, प्रशासनिक व्यय, घरेलू यात्रा, विदेश यात्रा, कार्यालय व्यय, विजली और विद्युत, जन प्रभार, किराया, दरें और कर (संपत्ति कर सहित), पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रीकेंट (पीओएल) सहित स्टॉक कार की लीज और भाड़े पर लेना, राज्य प्राधिकरण के लिए भवन पट्टे पर अथवा भाड़े पर लेना।

IIख* अन्य प्रशासनिक प्रभार में शामिल हैं - सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशाला आदि पर व्यय, प्रशिक्षण कार्यक्रम, विज्ञापन और प्रचार, लघु कार्य, वृत्तिक सेवाएं, अन्य संविदात्मक सेवाएं।

IIग* अन्य में शामिल हैं - कार्टेज और कैरेज इनवॉइस (स्थिर परिसंपत्ति/गैर आवर्ती मदों की खरीद पर), मुद्रण और प्रकाशन (शैक्षणिक के अलावा), अंशदान व्यय (शैक्षणिक के अलावा), राष्ट्रीय प्राधिकरण की पूंजीगत आस्ति के सृजन जैसे गैर आवर्ती प्रबंधन व्यय, कोई अन्य व्यय।

प्ररूप-12

[नियम 39 देखें]

वार्षिक प्रचालन योजना

[आगामी वित्तीय वर्ष के लिए चालू वर्ष की 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत किया जाए]

वार्षिक प्रचालन योजना (एपीओ) निम्नलिखित भागों में तैयार की जाएगी -

भाग-I: संक्षिप्त इतिहास और विगत कार्य-निष्पादन

एपीओ के भाग-1 में शामिल होगा

(क) राज्य में वन और वन क्षेत्र का संक्षिप्त वर्णन।

(ख) राज्य में गत पांच वर्षों में राज्य निधि से आवाह क्षेत्र शोधन, वन्यजीव प्रबंधन और सामुदायिक विकास कार्य तथा उनमें संचालित कार्यकलापों सहित प्रतिपूरक बनीकरण, अन्य वानिकी और संबंधित स्कीमों (भौतिक और वित्तीय), तालिका के प्ररूप में।

(ग) सरकार की अन्य स्कीमों के अधीन प्राप्त निधि से पिछले वर्षों में राज्य में संचालित वानिकी तथा अन्य संबंधित योजनाएं (भौतिक और वित्तीय) एवं कार्यकलाप, तालिका के प्ररूप में।

(घ) वर्ष 1980 से राज्य के विभिन्न जिलों/वन प्रभागों में अपवर्तित कुल वन क्षेत्र का सारणीबद्ध प्ररूप में वर्ष-वार व्यौरा।

(ङ) वर्ष 1980 से राज्य में किए गए कुल प्रतिपूरक बनीकरण का सारणीबद्ध प्ररूप में वर्ष-वार व्यौरा।

(च) राज्य वन विभाग के मॉनीटरी और मूल्यंकन स्कंध द्वारा किए गए मॉनीटरी कार्य का संक्षिप्त वर्णन और सारा।

(छ) राज्य में स्वतंत्र मॉनीटरी (तृतीय पक्षकार मॉनीटरी) द्वारा किए गए मॉनीटरी कार्य का संक्षिप्त वर्णन और सारा।

(ज) वार्षिक प्रचालन योजना (एपीओ) तैयार करने के लिए कोई अन्य महत्वपूर्ण सूचना जो सुसंगत समझी जाए।

2. भाग-II: प्रतिपूरक बनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक बनीकरण, दंडात्मक प्रतिपूरक बनीकरण, आवाह क्षेत्र शोधन योजना और अन्य किसी स्थल विशेष की योजना के लिए शुरू किए गए कार्यकलापों का उपयोग राज्य द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का

69) के अधीन की धारा 6 के खंड (क) में निर्दिष्ट वन भूमि के अपवर्तन के लिए अनुमोदित प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत स्थल विशेष की योजनाओं के अनुसार किया जाएगा:

- (क) नए प्रतिपूरक वनीकरण, आवाह क्षेत्र शोधन योजना के कार्यों तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त वन स्वीकृति के अधीन लगाई गई शर्तों के अनुसार किए जाने वाले वन्यजीव प्रबंध क्रियाकलापों का जिला/वन प्रभाग-वार विवरण।
- (ख) राज्य निधि से संचालित प्रत्येक प्रस्तावित कार्यकलाप के स्थान, प्राक्कलित लागत और कार्यान्वयन अनुसूची का जिला/प्रभाग वार विवरण दिया जाना है।
- (ग) विगत वर्षों में किए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्य, आवाह क्षेत्र शोधन योजना संबंधी कार्य, वन्यजीव प्रबंधन संबंधी क्रियाकलापों के मामलों में चालू वित्तीय वर्ष में शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय कार्य, जिसको स्थायी रूप से बनाए रखने हेतु अनुरक्षण की आवश्यकता है, के अनुरक्षण का व्यौरा।

टिप्पण : केवल उन्हीं जिलों का व्यौरा दिया जाए जहां चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 6 में निर्दिष्ट प्रतिपूरक वनीकरण, दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण, आवाह क्षेत्र शोधन, वन्यजीव प्रबंधन और अन्य क्रियाकलापों को शुरू करने पर विचार किया जा रहा है

3. भाग-III नियम 5 और नियम 6 में निर्दिष्ट निवल वर्तमान मूल्य और ब्याज के घटक से संचालित किए जाने वाले कार्यकलाप:

- (क) नियम 5 और नियम 6 में निर्दिष्ट विशेष कार्यकलापों के संबंध में राज्य में संचालित किए जाने वाले कार्यकलापों का जिला/वन प्रभाग वार व्यौरा।
- (ख) राज्य निधि से संचालित प्रत्येक प्रस्तावित कार्यकलाप के स्थान, प्राक्कलित लागत और कार्यान्वयन अनुसूची का जिला/प्रभाग वार विवरण दिया जाना है।
- (ग) विगत वर्षों में नियम 5 और नियम 6 में निर्दिष्ट विशेष कार्यकलापों के संबंध में राज्य में संचालित कार्यकलापों के मामलों में चालू वित्तीय वर्ष में शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय कार्य, जिसको स्थायी रूप से बनाए रखने हेतु अनुरक्षण की आवश्यकता है, के अनुरक्षण का व्यौरा।

टिप्पण: केवल उन्हीं जिलों का व्यौरा दिया जाए जहां चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नियम 5 और 6 में उल्लिखित इन क्रियाकलापों को शुरू करने पर विचार किया जा रहा है

4. भाग-IV सभी भौतिक कार्यकलापों के मापनीय निर्गम और प्रत्येक अनुमेय कार्यकलाप के लक्ष्यों के साथ मापनीय निर्गम हासिल करने हेतु अपेक्षित अवधि:

- (क) संचालित किए जाने वाले प्रत्येक कार्यकलाप के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की मापनीय प्रमाणा के साथ ऐसे कार्यकलापों की प्राक्कलित लागत तालिका के रूप में जिसमें भाग II और भाग III में उपलब्ध कराए गए व्यौरों शामिल हों।
- (ख) सभी भौतिक कार्यकलापों के मापनीय निर्गम के साथ मापनीय निर्दिष्ट हासिल करने हेतु अपेक्षित अवधि।
- (ग) विगत समय में तीसरे पक्ष की मॉनीटरी सहित समवर्ती मॉनीटरी और मूल्यांकन रिपोर्ट का व्यौरा फोटो के साथ।

टिप्पण : राज्य प्राधिकरण द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के लिए उचित रूप से अनुमोदित एपीओ प्रत्येक वर्ष की 31 दिसम्बर की तारीख से पहले राष्ट्रीय प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

घोषणा

उपर्युक्त वार्षिक प्रचालन योजना राज्य प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत की गई है।

हस्ताक्षर

सदस्य सचिव, राज्य प्राधिकरण

[फा. सं. 11-100/2015-एफसी (वाल्सूम.III)]

दीपक कुमार सिन्हा, वन महानिरीक्षक